

11/18

STATEMENT THAT UNDER SECTION 202 OR 204 OF THE CRIMINAL
PROCEDURE CODE, 1973

In this court at ...

Class and

... complaint is report made on 8/11/2021

Name and address of the complainant ...

Name, parentage, caste and address of accused

... ..

The offence complained of, and date of, its alleged commission

... 27/12/19 ... 5:30 PM ...
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

...

...

...

...

The plea of the accused and his examination (if any)-

...

...

the offence proved, if any, and in case under clause (a) or clause (b) of Sub-section (1) of Section 200, the value of the property in respect of which the offence has been committed

// निर्णय //

आज दिनांक 03/03/2020 को घोषित किया गया ।)

1. आरोपी पर म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप है।
2. आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
3. अभिलेख के अवलोकन से भी आरोपी द्वारा आरोपित अपराध करना प्रमाणित होता है।
4. तदनुसार अपराध की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के दोषसिद्ध ठहराया जाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं रूपये 5000/- (अर्धदण्ड) अर्धदण्ड की सजा से दण्डित किया जाता है।
5. अर्धदण्ड जमा न करने पर आरोपी को 7 दिवस का साधारण कारवां भुगताना जावे।
6. प्रकरण में जप्त 13 क्वार्टर/लीटर देशी/विदेशी मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जाये ।

निर्णय आज दिनांक 03/3/2020 को घोषित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

जे0एम0एफ0सी0 देपालपुर
(निदेशी मीणा)
याचिका निवेदन प्रथम क्रमांक
देपालपुर, जिला इन्चार्ज (ब.प्र.)

जे0एम0एफ0सी0 देपालपुर
देपालपुर (ब.प्र.)